

# छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय

(जुलाई—अगस्त, 2010 सत्र)

(दिनांक 26 जुलाई, 2010 से 03 अगस्त, 2010 तक)

प्रश्नोत्तरों के लिए विभाग के वर्ग, प्रत्येक विभाग के लिए प्रभारी मंत्री, उत्तर के लिए निश्चित दिनांक तथा उस दिनांक के लिए प्रश्नों के उत्तर प्राप्त होने का अंतिम दिनांक दर्शाने वाला विवरण।

विभाग	प्रभारी मंत्री	सभा में उत्तर के लिए निश्चित दिनांक	प्रश्नों के उत्तर प्राप्त होने का अंतिम दिनांक
(1)	(2)	(3)	(4)
<u>वर्ग – 1</u>			
सामान्य प्रशासन	मुख्यमंत्री		
वित्त	"		
योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी	"		
ऊर्जा	"		
खनिज साधन	"		
जनसंपर्क	"		
सूचना प्रौद्योगिकी एवं जैव प्रौद्योगिकी	"	26 जुलाई, 2010	20 जुलाई, 2010
विमानन	"	02 अगस्त, 2010	27 जुलाई, 2010
कृषि	कृषि मंत्री		
पशुधन विकास	"		
मछली पालन	"		
श्रम	"		
आदिम जाति, अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास	आदिम जाति विकास मंत्री		
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	"		
<u>वर्ग – 2</u>			
गृह	गृह मंत्री		
जेल	"		
सहकारिता	"		
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	लोक स्वास्थ्य मंत्री		
चिकित्सा शिक्षा	"		
वाणिज्यिक कर	"		
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन, पुनर्वास	"	27 जुलाई, 2010	21 जुलाई, 2010
महिला एवं बाल विकास	महिला एवं बाल विकास मंत्री	03 अगस्त, 2010	28 जुलाई, 2010
समाज कल्याण	"		
खेल एवं युवा कल्याण	"		
<u>वर्ग – 3</u>			
लोक निर्माण	लोक निर्माण मंत्री		
स्कूल शिक्षा	"		
धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व	"		
संस्कृति	"		
पर्यटन	"		
संसदीय कार्य	"		
वन	वन मंत्री	28 जुलाई 2010	22 जुलाई, 2010
सार्वजनिक उपक्रम	"		
जन शिकायत निवारण	"		

विभाग	प्रभारी मंत्री	सभा में उत्तर के लिए निश्चित दिनांक	प्रश्नों के उत्तर प्राप्त होने का अंतिम दिनांक
(1)	(2)	(3)	(4)
<b>वर्ग – 4</b>			
पंचायत एवं ग्रामीण विकास	पंचायत मंत्री		
विधि एवं विधायी कार्य	“		
जल संसाधन	जल संसाधन मंत्री		
आयाकट	“		29 जुलाई, 2010
उच्च शिक्षा	“		23 जुलाई, 2010
तकनीकी शिक्षा एवं जनशक्ति नियोजन	“		
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी	“		
वाणिज्य एवं उद्योग	वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री		
<b>वर्ग – 5</b>			
खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा	खाद्य मंत्री		
उपभोक्ता संरक्षण	“		
ग्रामोद्योग	“		
बीस सूत्रीय कार्यान्वयन	नगरीय प्रशासन मंत्री		30 जुलाई, 2010
नगरीय प्रशासन एवं विकास	“		24 जुलाई, 2010
आवास एवं पर्यावरण	“		
परिवहन	“		
<p>नोट :- 1. विवरण के कालम (3) व (4) में उल्लेखित दिनांक कालम (1) में दिये गये विभागों के संपूर्ण वर्ग को लागू होंगे।</p> <p>2. विभाग से उत्तर प्राप्त होने की निर्धारित तिथि को उत्तर कार्यालय समय में ही प्रेषित करना कृपया सुनिश्चित किया जाये, कार्यालय समय के पश्चात् उत्तर प्राप्त नहीं किये जायेंगे तथा प्रश्नोत्तर-सूची में “मंत्री महोदय की ओर से उत्तर प्राप्त नहीं हुआ” टीप के साथ मुद्रित कर दिया जायेगा।</p> <p>3. अध्यक्ष के स्थायी आदेश क्रमांक 18 (6) के पालन में जिन प्रश्नों के उत्तर के साथ संलग्न परिशिष्ट पाँच अथवा पाँच से अधिक पृष्ठ के हों, विभाग ऐसे उत्तरों की एक इलेक्ट्रॉनिक प्रति (सी.डी.) भी उत्तर के साथ (परिशिष्ट की प्रति सहित) अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराना कृपया सुनिश्चित करें।</p>			
<p>रायपुर दिनांक : 30 जून, 2010</p> <p align="right"><b>देवेन्द्र वर्मा</b> सचिव, छत्तीसगढ़ विधानसभा</p> <p align="right">रायपुर, दिनांक : 30 जून, 2010</p> <p><b>पृ.क्र. 6514 / वि.स. / प्रश्न / 2010</b></p> <p><b>प्रतिलिपि :-</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1. मुख्यमंत्री</li> <li>2. समस्त मंत्री एवं संसदीय सचिव</li> <li>3. मुख्य सचिव</li> <li>4. अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव एवं सचिव छत्तीसगढ़ शासन</li> <li>5. शासन के समस्त विभागों को सूचनार्थ तथा आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित</li> </ul> <p align="right"><b>देवेन्द्र वर्मा</b> सचिव, छत्तीसगढ़ विधानसभा</p>			